

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2013—श्रावण 25, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. बी-4-10-2012-2-पांच(18).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन स्थित 138 एकड़ भूमि के मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड) के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली हस्तांतरण/पट्टे की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. बी-4-10-2012-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-4-10-2012-2-पांच (18), दिनांक 16 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th August 2013

No. B-4-10-2012-2-V(18).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) the State Government, hereby, remits the registration fees chargeable on instrument of conveyance/ lease of 138 acres land, situated at village Tamot, Tehsil Goharganj, District Raissen to be executed by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikash Nigam, Bhopal in favour of Special Purpose Vehicle (Madhya Pradesh Plastic Park Development Corporation Limited).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. बी-4-10-2012-2-पांच(19).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन स्थित 138 एकड़ भूमि के मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड) के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली हस्तांतरण/पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. बी-4-10-2012-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-4-10-2012-2-पांच (19), दिनांक 16 अगस्त, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th August 2013

No. B-4-10-2012-2-V(19).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty Chargeable on instrument of conveyance/lease of 138 acres land, situated at village Tamot, Tehsil Goharganj, District Raisen to be executed by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikash Nigam, Bhopal in favour of Special Purpose Vehicle (Madhya Pradesh Plastic Park Development Corporation Limited).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.